राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

भाद्र 4, शुक्रवार, शाके 1933–अगस्त 26, 2011
Bhadra 4, Friday, Saka 1933–August 26, 2011

सत्यमेव जयते

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 26, 2011

संख्या प. 5(अलवर मास्टर प्लान) पर्या./2005 :– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 319 (अ), दिनांक 07 मई, 1992 एवं एस.ओ. 1189 (ई), दिनांक 29–11–1999 के अधीन अपेक्षित अलवर जिले के विकास कार्यक्रमों में पर्यावरणीय आवश्यकताओं को समाहित करते हुए राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमण्डल के अनुमोदनपरान्त एतद्द्वारा पर्यावरणीय वृहद्व योजना (पर्यावरणीय मास्टर प्लान) प्रचलित की जाती है।

इस अधिसूचना द्वारा प्रचलित वृहद्व योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी एवं इसके लागू होने के बाद अलवर जिले में विकास कार्यक्रमों का संचालन पर्यावरण वृहद्. योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकेगा। ऊपर लिखित पर्यावरणीय वृहद्व योजना की उपलब्धता निम्नानुसार होगी :–

1. कार्यालय निदेशक एवं शासन उप सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर–पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कार्यालय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. कार्यालय जिला कलक्टर, अलवर, (राज.)
4. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर, (राज.)
5. कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर।
6. कार्यालय खनिज अभियन्ता, अलवर, (राज.)
7. कार्यालय खनिज अभियंता, जयपुर, जिला जयपुर (राज.)

सुलभ संदर्भ हेतु पर्यावरणीय वृह्द्व योजना पर्यावरण विभाग की वेबसाइट www.environment.rajasthan.gov.in राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाइट www.rpcb.nic.in पर भी संधारित की जा रही है।

मधुसूदन तिवाडी,
निदेशक एवं उ. शा. स.
पर्यावरण विभाग
राजस्थान,जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Click here to download Environmental Master Plan for Alwar District